पत्रांक : 10/व1–48/2014 (अंश– I)......326

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

विमुक्ति आदेश

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी),

अनौपचारिक रूप से परामर्शित **बिहार, पटना।**

❖ द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 16/01/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई हेतु गैर वेतन मद के भुगतान हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–65, दिनांक–30.05.2025 के अंतर्गत कुल रू० 1,40,00,000/– (एक करोड चालीस लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई हेतु गैर वेतन मद के भुगतान हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–65, दिनांक–30.05.2025 के द्वारा कुल 4,00,00,000/–(चार करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं 1,32,00,000/– (एक करोड़ बत्तीस लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति तथा द्वितीय चतुर्माही में 1,28,00,000/– (एक करोड़ अठाईस लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति की यथा कुल 2,60,00,000/– (दो करोड़ साठ लाख) मात्र की विमुक्ति कर दी गई है अवशेष राशि 1,40,00,000 (एक करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त विमुक्त किये गये राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय का विकलन मांग संख्या –21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–110–अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–0006–सिमुलतला आवासीय विद्यालय, विषय शीर्ष–0006–31–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड़–21–2202021100006 के अन्तर्गत होगा। संबंधित शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2025–26 में मूल बजटीय उपबंध से 4,00,00,000/–(चार करोड़ रूपये) मात्र का उपबंध है तथा प्रथम अनुपूरक आगणन से 2,50,00,000/– (दो करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र का अतिरिक्त उपबंध प्राप्त है।

3. राशि का आवंटन विहित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा),राशि की निकासी CFMS की विहित प्रक्रिया द्वारा BTC-42 पर विपत्र तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से "Payee Name– Simultala Awasiya Vidyalaya, Authorised E mail ID- savbihar@gmail.com, Authorised Mobile No.-8709476401, A/C Type- Saving Account, Account Holder-Joint, A/c Holder Name-Principal & Account Officer, IFSC Code- SBIN0003456, Bank Name- SBI Simultala, A/c Number- 31384763271, TAN No. PTNS04622C, PAN No.-AARAS6693R, Address- Simultala Avasiya Vidyalaya, Simultala, Jamui, Bihar-811316" में राशि का अंतरण, अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।

4. विभाग को विहित प्रपत्र में ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संस्था के प्राचार्य की होगी एवम् विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर महालेखाकार कार्यालय को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश सं0–2561, दिनांक–17.04.1998, वित्त विभाग संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 एवं वित्त विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर निर्गत संकल्पों, परिपत्रों और अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

6. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
8. विमुक्त किये जाने वाली राशि स्वीकृत्यादेश संख्या–65, दिनांक–30.05.2025 में स्वीकृत राशि के अधीन है, जिसपर आंतरिक सलाहकार की सहमति पृष्ठ–09–10/टि० पर प्राप्त है एवं माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन पृष्ठ–11/टि० पर प्राप्त है।
9. संचिका संख्या–10/व1–48/2014 (अंश– I) के वर्त्तमान विमुक्ति प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०–46/टि० के नोट–43 पर प्राप्त है।
10. संचिका संख्या–10/व1–48/2014 (अंश– I) के वर्त्तमान विमुक्ति प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन पृ०–47/टि० के नोट–46 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश
ह/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :10/व1–48/2014 (अंश– I) .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 10/व1–48/2014 (अंश– I).. 326 पटना, दिनांक 16/01/2026

प्रतिलिपि : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला पदाधिकारी, जमुई/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)/प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.1.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।